वस्तु एवं सेवा कर

हिन्दी

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

वस्तु एवं सेवा कर

जी.एस.टी. – सरलीकरण एक आवश्यकता

जी.एस.टी. – सरलीकरण एक आवश्यकता

सी.ए . सुधीर हालाखंडी

जी.एस.टी.– सरलीकरण सरकार की नीति होनी चाहिए

अब छोटे एवं मध्यम दर्जे के डीलर्स जिनमे छोटे व्यापारी एवं उद्योग भी शामिल है जी.एस.टी. में सरलीकरण की मांग करने लगे है और आपकी यह मांग अब काफी जोर भी पकड़ने लगी है . आइये देखें कि आपकी यह मांग किन आशंकाओं को लेकर है और क्यों हमारी सरकार को इस और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए.

जी.एस.टी. को प्रारम्भिक रूप से ही कठोर प्रक्रियाओं से भर देना जिसमे लगातार तीन मासिक रिटर्न के प्रावधान जिसके तहत ,एक आप करदाता को पूरे वर्ष में लगभग 37 रिटर्न्स भरने है , हर 50 हजार की बिक्री या सप्लाई पर ई-वे बिल जारी करना (आज एक समाचार है की शायद इसे अब दो प्रान्तों की बिक्री पर ही लगाया जायेगा), स्टॉक का व्यापारी द्वारा भी पूरा पूरा हिसाब किताब रखना (जो कुछ विशेष प्रकार के व्यापार में लगभग

असंम्भव है) जैसे प्रावधान शामिल है ,कोई बहुत बड़ी सरलीकरण की उम्मीद नहीं दिला पा रहा है और यह उद्योग एवंम व्यापार के लिए एक निराशा की बात है जिसका असर जी.एस.टी. लागू होने के बाद सरकार के राजस्व पर भी नकारात्मक पड़ सकता है .

इतनी अधिक संख्या में रिटर्न्स को लेकर भ्रम , निराशा और असमंजस तो है ही इसीलिये अभी सरकारी क्षेत्र से यह यह कहा जा रहा है ये तीन रिटर्न नहीं है बल्कि एक ही रिटर्न के तीन भाग है लेकिन इन सब को अलग-अलग समय पर भरना है और इस समय हमारे यहाँ इन्टरनेट की जो व्यवस्था है उसके अनुसार रिटर्न तैयार करने से ज्यादा परेशानी किसी रिटर्न को अपलोड करने में आती है इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो पहले दस दिन का समय दिया गया है जिसे डीलर अपनी बिक्री का रिटर्न भरेंगे और उसी से ही उनके खरीददारों के खरीद के रिटर्न बन जायेंगे इसके पीछे सोच यह है की इन दस दिनों में सभी विक्रेता अपना रिटर्न भर देंगे जो कि बहुत ही "आदर्श स्तिथी" है लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो (जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है) फिर जो विक्रेता इस अवधि में अपना बिक्री का रिटर्न नहीं भर पाए तो उनके क्रेता अपना खरीद का रिटर्न किस तरह से भरेंगे ? रिटर्न मे जो विगत आपके विक्रेता ने भरी है / नहीं भरी है को चेक करना , सुधार करना और उसमें जो खरीद दर्ज ही नहीं है उसे अपने रिटर्न में दर्ज करना है तो अपने आप ही रिटर्न में अपनी खरीद स्वयम भरने से भी प्रक्रिया संबंधी बड़ी उलझन है और फिर इन रिटर्न

की तारीखें और प्रक्रियाएं देखकर तो यह कहा ही नहीं जा सकता कि जी.एस.टी. सरलीकरण की और एक कदम है .

अब सरकार जब जी.एस.टी. की प्रक्रिया संबंधी अड़चने सरकार दूर कर चुकी है और जी.एस.टी. भारत में लागू होने ही वाला है तब यह सवाल तो उठता ही है कि क्या जो कल्पना इस कर को लेकर आने वाली क्रांति को लेकर की जा रही है उसके बारे में ही सवाल ही यह उठता है कि क्या यह कल्पना सही है या केवल एक प्रचार मात्र है और यदि यह कल्पना सही भी है तो क्या इस नयी कर प्रणाली को लागू करते समय सरकार को कर दाताओं में, जिनमे लाखों की संख्या में लघु एवंम मध्यम दर्जे के व्यापारी एवं उद्योगपति शामिल है, उनमे इस कर प्रणाली में विश्वास पैदा करने के लिए और उनका सहयोग लेने के लिये सरलीकरण की नीति नहीं अपनानी चाहिए . बड़े निर्माता और बड़ी कम्पनिया कभी भी उपभोक्ता से जी.एस.टी. के दौरान आखिर उपभोक्ताओं से कर तो छोटे डीलर्स को ही एकत्र करना है .

आइये देखें किस तरह से छोटे डीलर्स का महत्त्व जी.एस.टी. के दौरान भी बना रहना चाहिए . देखिये बड़े निर्माता और उद्योगों की और से जी.एस.टी.का स्वागत हो रहा है लेकिन आप ध्यान रखें कोई भी बड़ा निर्माता कभी भी अंतिम उपभोक्ता से कर एकत्र नहीं करता है और यह एकत्रीकरण आम सिर्फ उपभोक्ताओं से जुड़े छोटे आर मझोले डीलर्स ही करते है अत: उन्हें प्रक्रियाओं के झंझट, असमंजस और भ्रम से से मुक्त

सरकार का काम है और इसी से जी.एस.टी. की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है .

इस समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एक बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष कर है जो कि केन्द्रीय सरकार वसूल करती है और यह अभी "निर्माण की स्तिथी" तक ही लगता है एवं जी.एस.टी. के तहत इसे "बिक्री की स्तिथी" तक लगाया जाएगा एवं अभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की जो सीमा है उसे भी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर के रूप में एक करोड़ पचास लाख रूपये से घटा कर केवल 20 लाख रूपये पर ला दिया जाएगा और इससे यह तो सोचा ही जा सकता है कि निश्चित रूप से इससे सरकार का राजस्व तो बढेगा ही लेकिन देश के लघु एवं मध्यम दर्जे उद्योग धंधे एवं व्यापार इससे कैसे तरक्की करेंगे इस सवाल का शायद कोई ठोस जवाब नहीं है क्यों कि उन्हें 150 लाख का केन्द्रीय कर से संरक्षण सम्माप्त हो जाएगा और लेकिन अब वे करारोपण के मामले में बड़े उद्योगों के बराबर में आ जायेंगे तो इस प्रतिस्पर्धा में वे कब तक ठहर पायेंगे यह भी एक विचारणीय प्रश्न है ही .

जब देश के लाखों छोटे एवं लघु उद्योग एवं व्यापार को जो कि इस समय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर से दूर है को भी इस केन्द्रीय कर का भुगतान कर इसकी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा . इसे हम सरलीकरण कैसे कह सकते है .

- सुधीर हालाखंडी